प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 19 मार्च,2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16-09-2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रमेश सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, गढ़ी, थाना-बिल्सी, जनपद-बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा चकबंदी में चल रहे मुकदमेबाजी के विवाद को लेकर दिनांक 25.05.1981 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों को घायल कर दिया जिसमें उपचार के दौरान 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-316/1982 में भा०द०वि० की धारा-302, 323/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, बदायूँ के दण्डादेश दिनांक 04.10.1983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.02.2016 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.05.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 11 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदाँयू द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बंदी द्वारा आपसी रंजिश के कारण हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित होने, दोनों पक्षों में तनाव व कसीदगी व्याप्त होने, समयपूर्व रिहाई होने पर कोई भी अप्रिय घटना घटने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश सिंह (बन्दी संख्या-49131) पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी जनपद-बदायूँ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-247/2026/1912(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।